

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 237A/2015-16

मुनी सरदार बनाम विरेन्द्र नाथ बास्के

:: आदेश ::

दिनांक पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता मुनी सरदार पति बुधु सरदार, ग्राम-तिरला, थाना-गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता विरेन्द्र नाथ बास्के पिता-सुरेन बास्के, ग्राम-पदमपुर, थाना-काण्ड्रा, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।

अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

०५/०६/१४
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।